

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

1. विनियामक सहिष्णुता का वापस लिया जाना

1.1 अग्रिमों के संबंध में 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण' पर 02 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र (आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र) के अनुसार मौजूदा दिशानिर्देश कतिपय शर्तों के अधीन पुनर्रचित खातों के आस्ति वर्गीकरण पर विनियामक सहिष्णुता की अनुमति देते हैं, अर्थात् मानक खातों को उनके आस्ति वर्गीकरण में रहने दिया जाता है तथा एनपीए खातों की पुनर्रचना के समय आस्ति वर्गीकरण में उन्हें और खराब नहीं होने दिया जाता है। बुनियादी संरचना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं तथा गैर-बुनियादी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक परिचालन के आरंभ होने की तिथि (डीसीसीओ) में परिवर्तन होने पर भी आस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध है (आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.15.3 और 4.2.15.4)।

1.2 यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं/भिन्न-भिन्न है, कार्यदल ने संस्तुति की है कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य क्षेत्राधिकारों में अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार ऋणों और अग्रिमों की पुनर्रचना पर आस्ति वर्गीकरण के संबंध में विनियामक सहिष्णुता को समाप्त कर दे। तथापि मौजूदा घरेलू समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थिति के साथ-साथ वैश्विक स्थिति के मद्देनजर इस उपाय पर बाद में, जैसे कि 2 साल बाद, विचार किया जा सकता है। फिर भी, कार्यदल ने महसूस किया कि बुनियादी संरचना परियोजना ऋणों के डीसीसीओ में परिवर्तन के मामलों में मौजूदा आस्ति वर्गीकरण लाभों को, विभिन्न प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने में आने वाली अनिश्चितताओं और राष्ट्रीय संवृद्धि और विकास में इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, कुछ और समय के लिए अनुमत किया जा सकता है।

1.3 भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त संस्तुतियों को स्वीकार करने और 01 अप्रैल 2015 से लागू करने का निर्णय लिया है। तदनुसार 01 अप्रैल 2015 से बुनियादी संरचना और गैर-बुनियादी संरचना परियोजना ऋणों के संबंध में डीसीसीओ परिवर्तनों से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर मौजूदा आस्ति वर्गीकरण लाभ, जो कतिपय शर्तों को पूरा करने पर पुनर्रचना के लिए उपलब्ध हैं, वापस ले लिए जाएंगे (कृपया पैरा 2 देखें)। इसका तात्पर्य है कि किसी मानक खाते को (डीसीसीओ में परिवर्तन के अलावा अन्य कारणों से) पुनर्रचना के बाद अवमानक के रूप में तत्काल वर्गीकृत कर दिया जाएगा तथा अनर्जक आस्तियों को भी वही आस्ति वर्गीकरण प्रदान किया जाता रहेगा जो उन्हें पुनर्रचना के पूर्व प्राप्त था और वे पुनर्रचना पूर्व चुकौती अनुसूची के संदर्भ में मौजूदा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार और भी निम्नतर आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों में चली जाएंगी।

2. डीसीसीओ में परिवर्तन

2.1 आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.15.3 और 4.2.15.4 में दिए गए मौजूदा अनुदेशों के अनुसार यदि डीसीसीओ (बुनियादी संरचना परियोजनाओं के लिए) दो वर्ष की अवधि के भीतर और (गैर-बुनियादी परियोजनाओं के लिए) छः माह के भीतर परिवर्तित हो जाता है तो मानक बुनियादी संरचना और गैर-बुनियादी संरचना परियोजना ऋण पुनर्चना के बाद कुछ शर्तों के अधीन मानक आस्ति वर्गीकरण बरकरार रख सकते हैं।

2.2 यह देखा गया है कि कई बार ऐसे मौके आते हैं जब विधिक और अन्य बाह्य कारणों, जैसे सरकारी अनुमोदनों इत्यादि में विलंब, से परियोजनाओं के पूरा होने में देरी होती है। इन सभी कारणों से परियोजना कार्यान्वयन में देरी हो सकती है और इससे डीसीसीओ विस्तारित हो सकता है तथा कई मामलों में बैंक ऋणों की पुनर्चना कर सकते हैं/चुकौती की समय-सारणी को पुनः तैयार कर सकते हैं। अतएव, जैसा कि कार्यदल ने संस्तुत किया है, अगली समीक्षा तक डीसीसीओ में परिवर्तन के कारण पुनर्चना के मामलों में बुनियादी संरचना परियोजनाओं के मौजूदा आस्ति वर्गीकरण लाभों को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

2.3 बैंकों ने अभ्यावेदन किया है कि जैसा बुनियादी संरचना परियोजनाओं के मामले में होता है, गैर-बुनियादी संरचना परियोजना को भी डीसीसीओ प्राप्त करने में इसी प्रकार की वास्तविक कठिनाइयां आती हैं और गैर-बुनियादी परियोजनाओं के डीसीसीओ में परिवर्तन पर मिलने वाले मौजूदा लाभ भी कुछ और समय के लिए दिए जाने चाहिए। हमने उक्त आवेदनों की जांच की है और यह निर्णय लिया गया है कि आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.15.4 के अनुसार डीसीसीओ के विस्तार के कारण होने वाली पुनर्चना पर कार्यान्वयन के अधीन गैर-बुनियादी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध मौजूदा आस्ति वर्गीकरण लाभ अगली समीक्षा होने तक बरकरार रखे जाएं।

2.4 बैंकों ने यह अभ्यावेदन भी किया है कि यह अनुदेश कि किसी गैर-बुनियादी संरचना के लिए ऋण यदि वास्तविक डीसीसीओ से छः माह के भीतर वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने में असफल रहता है, तो उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, भले ही यह [आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र का पैरा 4.2.15.4(ii)] वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित था, समान स्थिति में बुनियादी [आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र का पैरा 4.2.15.3(ii)] संरचना ऋणों के लिए विस्तारित दो वर्ष की बृहतर अवधि के अनुरूप नहीं था और, इसलिए समान बाह्य कारणों से डीसीसीओ प्राप्त करने में विलंब के मद्देनजर गैर-बुनियादी संरचना ऋणों को समनुरूपी बृहतर अवधि भी दी जा सकती है। यह निर्णय लिया गया है कि उनका अनुरोध माना जाए और 'मूल डीसीसीओ से

छह माह' की निर्धारित अवधि को बढ़ाकर' मूल डीसीसीओ से एक वर्ष' किया जाए, जिसके भीतर किसी गैर-बुनियादी संरचना परियोजना को वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करना होगा, ताकि आईआरएस मानदंड 2012 के मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.15.4(ii) का अनुपालन है। परिणामतः यदि वाणिज्यिक परिचालन को आरंभ करने में विलंब वित्तीय समापन के समय निर्धारित पूर्णता की तारीख से 1 वर्ष की अवधि से अधिक होता है, बैंक नया डीसीसीओ निर्धारित कर सकते हैं तथा संबंधित प्रावधानों के अनुसार खातों को पुनर्चित कर 'मानक' वर्गीकरण बरकरार रख सकते हैं बशर्ते कि नया डीसीसीओ मूल डीसीसीओ से 2 वर्ष की अवधि से अधिक न बढ़े।

2.5 बैंकों को अपने पुनर्चित मानक बुनियादी संरचना और गैर-बुनियादी संरचना परियोजना ऋणों पर नीचे दिए पैरा 3 के अनुसार प्रावधान करना होगा जो ऋणों की डीसीसीओ में विस्तार/पुनर्चना के कारण उचित मूल्य में आई कमी के लिए किए गए प्रावधान के अलावा होगा।

2.6 आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.15.3(v) और 4.2.15.4(iv) में कहा गया है कि इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन से, डीसीसीओ के विस्तार मात्र को पुनर्चना माना जाएगा, भले ही अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित हों। बैंकों ने हमें अभ्यावेदन किया है कि यह प्रावधान किसी बुनियादी संरचना और गैर-बुनियादी संरचना ऋण की पुनर्चना अथवा डीसीसीओ में बाद में किये गये किसी बदलाव को, डीसीसीओ [आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.15.3(ii) और 4.2.15.4(ii)] के बदलने पर आस्ति वर्गीकरण लाभ बरकरार रखने के लिए स्वीकार्य समयावधि के भीतर भी दोहराई गई पुनर्चना बना देता है। इस मुद्दे की छानबीन की गई और यह निर्णय लिया गया कि यदि संशोधित डीसीसीओ बुनियादी संरचना परियोजनाओं तथा गैर बुनियादी संरचना परियोजनाओं के लिए क्रमशः मूल डीसीसीओ से दो वर्ष तथा एक वर्ष के भीतर पड़ता है तो केवल डीसीसीओ का विस्तार पुनर्चना नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में डीसीसीओ के विस्तार की तुलना में (संशोधित चुकौती समय-सारणी के आरंभ और समापन की तारीखों सहित) समान या लघुतर अवधि के साथ चुकौती अवधि में होने वाला परिणामी परिवर्तन भी पुनर्चना नहीं माना जाएगा बशर्ते ऋण की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहें। ऐसे में परियोजना ऋणों को सभी मामलों में मानक आस्तियों के रूप में माना जाएगा तथा उन पर 0.4 प्रतिशत का मानक आस्ति प्रावधान लागू होगा।

2.7 हमें यह अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ है कि वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) परियोजनाएं भी बाह्य कारणों से डीसीसीओ प्राप्त करने में विलंब की समस्या का सामना करती हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि ऐसे मामलों में मौजूदा अनुदेशों के अंतर्गत डीसीसीओ का मात्र विस्तार ही पुनर्चना माना जाएगा, बैंक ऐसी अधूरी परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने से हिचकते हैं जिनके मूल डीसीसीओ में

विलंब हो। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि यदि संशोधित डीसीसीओ मूल डीसीसीओ से एक वर्ष की अवधि के भीतर हो और जिस अवधि के लिए डीसीसीओ बढ़ाया गया है, केवल चुकौती अनुसूची और ऋण की चुकौती में समान अथवा लघुतर अवधि के संभावित परिवर्तन को छोड़कर अन्य नियमों और शर्तों में परिवर्तन न हो, तो सीआरई परियोजनाओं के मामले में भी केवल डीसीसीओ का विस्तार पुनर्चना नहीं माना जाएगा। ऐसे सीआरई परियोजना ऋणों को इस उद्देश्य के लिए सभी प्रकार से मानक आस्तियों के रूप में माना जाएगा और उन पर पुनर्चित मानक परिसंपत्तियों के लिए लागू उच्चतर प्रावधान लागू नहीं होगा। तथापि, पूर्व की भांति, यदि सीआरई परियोजनाएं पुनर्चित हुईं तो उनके लिए आस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध नहीं होंगे।

2.8 इसके अलावा, बैंकों ने यह अभ्यावेदन भी किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं अपेक्षित शर्तों का पालन करने में रियायत प्राधिकारी की असमर्थता के कारण (रियायत समझौते में यथापरिभाषित) निर्धारित तिथि में परिवर्तन के कारण विस्तारित हो सकती हैं और डीसीसीओ में इस प्रकार का विस्तार पुनर्चना माना जाता है, भले ही निर्धारित तिथि में परिवर्तन पर उधारकर्ता का कोई नियंत्रण न हो। उक्त के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वोक्त कारणों से डीसीसीओ में होने वाले विस्तार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुनर्चना के रूप में न मानने के लिए अनुमत किया जाए:

- क) परियोजना किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा आबंटित पीपीपी मॉडल के अंतर्गत बुनियादी संरचना परियोजना हो;
- ख) ऋण का संवितरण अभी शुरू न हुआ हो;
- ग) उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच डीसीसीओ की परिवर्तित तिथि के संबंध में एक पूरक करार के माध्यम से दस्तावेज तैयार किया गया हो; और
- घ) परियोजना की व्यवहार्यता का पुनर्मूल्यांकन हो चुका हो और पूरक करार के समय सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त कर ली गई हो।

2.9 पुनर्चना के उक्त सभी मामलों में जिनमें विनियामक छूट दी गई है, बैंकों के बोर्डों को परियोजना और पुनर्चना योजना की व्यवहार्यता (अर्थक्षमता) के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए।

2.10 इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, 'परियोजना ऋण' का तात्पर्य होगा कोई मीयादी ऋण जो किसी प्रकार का आर्थिक उद्यम स्थापित करने के प्रयोजन से दिया गया हो। बुनियादी संरचना क्षेत्र वह क्षेत्र है जो 'बुनियादी संरचना क्षेत्र को दिये जानेवाले ऋण की परिभाषा' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के

मौजूदा परिपत्र में परिभाषित है। उधारकर्ताओं के लिए वित्तीय समापन के समय सभी परियोजनाओं के लिए 'पूर्णता की तिथि' और 'डीसीसीओ की तिथि' दर्शाना अनिवार्य है और इसे औपचारिक रूप से दस्तावेज में दर्ज होना चाहिए। इसे ऋण की मंजूरी के समय बैंक द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन नोट में भी दर्ज होना चाहिए।

2.11 यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.15.5(ii) में दिए गए प्रावधान, जो किसी परियोजना के दायरे और आकार में वृद्धि के कारण परियोजना के लिए आवश्यक पूंजी में हुई वृद्धि की वजह से परियोजना ऋण की चुकौती अनुसूची में किसी परिवर्तन के कारण किसी खाते को पुनर्रचित खाता न मानने से संबंधित हैं, कुछ शर्तों के अधीन प्रभावी बने रहेंगे।

3. पुनर्रचित मानक खातों पर सामान्य प्रावधान

3.1 [दिनांक 18 मई 2011 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 94/21.04.048/2011-12](#) के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए पुनर्रचित मानक खातों पर 2.00 प्रतिशत का प्रावधान करें जिसका आधार यह होगा कि कोई खाता पुनर्रचित मानक खाते के रूप में किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात् आरंभ से ही या उन्नयन होने पर या बुनियादी और गैर-बुनियादी परियोजनाओं के डीसीसीओ में परिवर्तन के कारण आस्ति वर्गीकरण बनाए रखने पर।

3.2 जब तक आस्ति वर्गीकरण पर विनियामक सहिष्णुता को समाप्त किया जाता है, तब तक पुनर्रचित मानक आस्तियों में अंतर्निहित जोखिम की विवेकपूर्ण तरीके से पहचान करने के लिए कार्यदल ने संस्तुति की है कि ऐसे खातों पर प्रावधान अपेक्षाओं को मौजूदा 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर देना चाहिए। इसे नई पुनर्रचनाओं (फ्लो) के मामले में तुरंत लागू कर देना चाहिए किंतु मौजूदा मानक पुनर्रचित खातों (स्टॉक) के लिए दो वर्ष की अवधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए।

3.3 तात्कालिक उपाय के तौर पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 नवंबर 2012 के [परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 63/21.04.048/2012-13](#) द्वारा पुनर्रचित मानक खातों पर प्रावधान को 2.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.75 प्रतिशत कर दिया। अब निर्णय लिया गया है कि 1 जून 2013 से नए पुनर्रचित मानक खातों (फ्लो) प्रावधान को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जाए और 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार पुनर्रचित मानक खातों के स्टॉक के लिए निम्नलिखित के अनुसार चरणबद्ध रूप से प्रावधान बढ़ाया जाए।

- 3.50 प्रतिशत – 31 मार्च 2014 से (2013-14 की चारों तिमाहियों में लागू)
- 4.25 प्रतिशत – 31 मार्च 2015 से (2014-15 की चारों तिमाहियों में लागू)

- 5.00 प्रतिशत – 31 मार्च 2016 से (2015-16 की चारों तिमाहियों में लागू)

4. पुनर्चित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान

4.1 वर्तमान में आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैरा 11.4 के अनुसार पुनर्चित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी की गणना की पद्धति और उसकी आवश्यकता के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

4.2 कार्यदल का विचार था कि खातों के उचित मूल्य में आई कमी की गणना से संबंधित मौजूदा अनुदेश उचित थे और वे उचित मूल्य में हास को सही प्रकार से व्यक्त करते थे। अतएव उन्हें जारी रखा जा सकता है। यह सिफारिश भी की गई कि छोटी/ग्रामीण शाखाओं में सभी पुनर्चित खातों, जहां बैंक को देय कुल राशि एक करोड़ रुपये से कम है, के संबंध में छोटे खातों के उचित मूल्य में हास की गणना कुल एक्सपोजर के 5 प्रतिशत पर नोशनल आधार पर करने का विकल्प दीर्घावधि आधार पर उपलब्ध कराया जाए।

4.3 हमें विभिन्न हितधारकों की ओर से टिप्पणियां भी प्राप्त हुई हैं कि छोटे खाते, जहां बैंक के प्रति कुल बकाया रकम 1 करोड़ से कम है, उनके उचित मूल्य में गिरावट को कल्पित (नोशनल) आधार पर गणना करने के विकल्प की सुविधा सभी शाखाओं में दी जानी चाहिए।

4.4 उक्त सिफारिश और सुझाव को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है; तदनुसार ऐसे सभी पुनर्चित खातों के संबंध में, जिनमें बैंक(कों) के प्रति बकायों की कुल राशि एक करोड़ रुपये से कम है, छोटे खातों के उचित मूल्य में हास की गणना छोटे/ग्रामीण शाखाओं के कुल एक्सपोजर के 5 प्रतिशत पर नोशनल आधार पर करने का विकल्प सभी शाखाओं में, इस संबंध में आगे समीक्षा किए जाने तक, उपलब्ध होगा।

4.5 यद्यपि कार्यदल का मानना था कि खातों के उचित मूल्य में गिरावट की गणना से संबंधित मौजूदा अनुदेश उचित थे और उचित मूल्य में गिरावट की सही गणना करते थे, हमने पाया है कि कुछ अवसरों पर बैंकों द्वारा उचित मूल्य में हास की गणना में भिन्नताएं आई हैं। हमारे मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, अग्रिम के उचित मूल्य में हास की गणना पुनर्चना के पहले और बाद में ऋण के उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में करना चाहिए। पुनर्चना से पहले ऋण के उचित मूल्य की गणना नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के रूप में की जाएगी जो (पुनर्चना के पूर्व अग्रिम पर लगाई गई विद्यमान दर पर) ब्याज को दर्शाती है तथा मूलधन, जिसे बैंक के बीपीएलआर अथवा आधार दर (उधारकर्ता के लिए जो भी लागू हो) के बराबर दर पर पुनर्चना की तिथि को डिस्काउंट किया गया हो और समुचित टर्म प्रीमियम तथा उधारकर्ता की श्रेणी के लिए क्रेडिट जोखिम प्रीमियम को दर्शाता

है। पुनर्चना के बाद ऋण के उचित मूल्य की गणना नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के रूप में की जाएगी जो (पुनर्चना के बाद अग्रिम पर लगाई गई दर पर) ब्याज तथा मूलधन, जिसे पुनर्चना की तिथि पर लागू बैंक के बीपीएलआर अथवा आधार दर (उधारकर्ता के लिए जो भी लागू हो) के बराबरी की दर पर डिस्काउंट किया गया हो और समुचित टर्म प्रीमियम तथा पुनर्चना की तिथि को उधारकर्ता की श्रेणी के लिए साख जोखिम प्रीमियम दर्शाती है।

4.6 उदाहरणार्थ, पुनर्चना पर चुकौती अवधि के बढ़ जाने के कारण यदि बैंक टर्म प्रीमियम की समुचित गणना नहीं करते हैं तो भिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में पुनर्चना के बाद नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य की गणना करते समय प्रयुक्त टर्म प्रीमियम, पुनर्चना के पूर्व नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य की गणना करते समय प्रयुक्त टर्म प्रीमियम से अधिक होगा। इसके अलावा पुनर्चना पर कर्ज/ईक्विटी लिखतों में रूपांतरित मूलधन की राशि को एफएस (बिक्री के लिए उपलब्ध) के अंतर्गत धारण करना होगा और उसका मूल्य निर्धारण सामान्य मूल्यांकन मानकों के अनुसार करना होगा। चूंकि ये लिखत बाजार की दर पर आधारित किए जा रहे हैं, ऐसे मूल्य निर्धारण से उचित मूल्य में गिरावट अभिव्यक्त हो जाती है। अतएव, उचित मूल्य में आई गिरावट का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए कर्ज/ईक्विटी में अपरिवर्तित किये गये मूलधन के भाग की एनपीवी (निवल वर्तमान मूल्य) की गणना अलग से करनी होगी। तथापि बैंक के लिए कुल त्याग की जाने वाली राशि उक्त अंश की एनपीवी और कर्ज/ईक्विटी लिखतों में परिवर्तन के कारण मूल्यांकन हानि का योग होगी। प्रवर्तकों द्वारा त्याग की जाने वाली अपेक्षित राशि उक्तानुसार संगणित संपूर्ण त्याग राशि पर आधारित होगी।

4.7 अतएव, बैंकों को सूचित किया जाता है कि उन्हें पुनर्चित खातों के उचित मूल्य का सही आकलन करना चाहिए क्योंकि यह उनके द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित प्रावधान को ही नहीं बल्कि प्रवर्तकों से त्याग के लिए अपेक्षित रकम को भी प्रभावित करेगा। इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा वित्तीय इंजीनियरिंग का सहारा लेकर नकदी प्रवाह के निवल वर्तमान मूल्य को कृत्रिम रूप से कम करने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे पुनर्चित खातों के उचित मूल्य में ह्रास की सटीक गणना सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण एवं संतुलन (चेक एंड बैलेंस) की सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करें।

5. पुनर्चना के बाद एनपीए के रूप में वर्गीकृत खाते के अपग्रेडेशन के लिए मानदंड

5.1 आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैरा 11.2.3 में दिए गए मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, वे सभी पुनर्चित खाते जिन्हें पुनर्चना के बाद एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है 'विनिर्दिष्ट अवधि' के दौरान 'संतोषजनक कार्य निष्पादन करने के उपरांत, 'मानक' श्रेणी के रूप में

अपग्रेडेशन के लिए पात्र होंगे। साथ ही, 'विनिर्दिष्ट अवधि' और 'संतोषजनक कार्य निष्पादन' को उक्त मास्टर परिपत्र के अनुबंध 5 में परिभाषित किया गया है।

5.2 कार्यदल ने पाया कि मूलधन व ब्याज के बड़े हिस्से के भुगतान के अधिस्थगन के साथ पुनर्चना के कुछ मामलों में, खाते विनिर्दिष्ट अवधि के लिए केवल कर्ज के छोटे हिस्से पर ब्याज के भुगतान, जैसे कि एफआईटीएल, के आधार पर अपग्रेड किए गए थे। ऐसे खाते में अंतर्निहित क्रेडिट कमजोरी हो सकती है क्योंकि ऋण के लघु हिस्से पर ब्याज का भुगतान 'संतोषजनक कार्य निष्पादन' का प्रमाण नहीं है।

5.3 अतएव, कार्यदल ने अनुशंसा की है कि बहुल ऋण सुविधाओं के साथ पुनर्चना के मामलों में 'विनिर्दिष्ट अवधि' को, अधिस्थगन की अधिकतम अवधि वाली ऋण सुविधा के ब्याज या मूलधन की पहली चुकौती जो भी बाद में हो की शुरुआत से एक वर्ष के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्यदल ने यह अनुशंसा भी की कि बैंक द्वारा पुनर्चना पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत खाते तभी अपग्रेड किए जाने चाहिए जब इस विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खाते में सभी बकाया ऋण/सुविधाएं संतोषजनक रूप से कार्य-निष्पादन कर रही हैं, अर्थात् खाते में सभी सुविधाओं पर मूलधन और ब्याज की सर्विसिंग भुगतान की शर्तों के अनुसार की जाती है।

5.4 तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि 'विनिर्दिष्ट अवधि' को पुनर्चना पैकेज की शर्तों के अधीन अधिस्थगन की अधिकतम अवधि वाली ऋण सुविधा पर ब्याज या मूलधन की पहली चुकौती की शुरुआत जो भी बाद में हो से एक वर्ष की अवधि, के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए।

5.5 परिणामतः एनपीए के रूप में वर्गीकृत मानक खाते तथा बैंक द्वारा पुनर्चित उसी श्रेणी में रखे गये एनपीए खाते तभी अपग्रेड किये जाने चाहिए जब इस विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खाते में सभी बकाया ऋण/सुविधाएं संतोषजनक रूप से कार्य-निष्पादन कर रही हैं, अर्थात् खाते में सभी सुविधाओं पर मूलधन और ब्याज की सर्विसिंग भुगतान की शर्तों के अनुसार की जा रही है।

6. अर्थक्षमता मानदंडों से संबंधित बेंचमार्क

6.1 आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैरा 11.1.4 के अनुसार बैंक किसी खाते की पुनर्चना तब तक नहीं करेंगे जब तक वित्तीय व्यवहार्यता स्थापित नहीं हुई हो और पुनर्चना पैकेज की शर्तों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा चुकौती की समुचित निश्चितता न हो। व्यवहार्यता का निर्धारण बैंकों द्वारा स्वनिर्धारित व्यवहार्यता बेंचमार्क के आधार पर किया जाना चाहिए और इसे प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर लागू किया जा सकता है। इस संबंध में प्रत्येक पैमाने (संदर्भ – आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के अनुबंध 4 के अंतर्गत पैरा

3.4) के लिए कोई बेंचमार्क दिए बिना भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ व्यवहार्यता पैमाने उदाहरण देकर समझाये हैं।

6.2 कार्यदल ने अनुशंसा की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक सीडीआर प्रकोष्ठ द्वारा प्रयुक्त व्यवहार्यता मापदंड के आधार पर विस्तृत बेंचमार्क निर्धारित करे; और बैंक इन्हें विशिष्ट क्षेत्रों के लिए समुचित समायोजन, यदि हों, के साथ, उचित तौर पर अपना सकते हैं।

6.3 ऐसा महसूस किया गया है कि इस संबंध में निर्धारित विस्तृत बेंचमार्क बैंकों द्वारा व्यवहार्यता के उनके स्वयं के बेंचमार्क बनाने में सहायक होंगे। तथापि, चूंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न-भिन्न कार्य-निष्पादन संकेतक होते हैं, यह वांछनीय होगा कि बैंक समुचित संशोधनों के साथ इन विस्तृत बेंचमार्क को अपनाएं।

6.4 अतएव, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों द्वारा व्यवहार्यता का निर्धारण स्वीकार्य व्यवहार्यता मापदंड और उनके द्वारा निर्धारित प्रत्येक पैमाने के बेंचमार्क के आधार पर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, विस्तृत व्यवहार्यता मापदंड में लगाई गई पूंजी का प्रतिफल, ऋण सेवा कवरेज अनुपात, प्रतिफल की आंतरिक दर और निधियों की लागत के बीच अंतर एवं पुनर्चित अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के एवज में अपेक्षित व्यवस्था की राशि शामिल होते हैं। सीडीआर प्रणाली द्वारा अपनाये जाने वाले व्यवहार्यता मापदंड के लिए बेंचमार्क परिशिष्ट में दिए गए हैं और प्रत्येक बैंक गैर-सीडीआर मामलों में खातों की पुनर्चना करते समय समुचित समायोजन के साथ, यदि कोई हों तो, इन्हें उचित रूप से अपना सकते हैं।

7. व्यवहार्यता समयावधि

7.1 वर्तमान में, व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए समयावधि को पुनर्चना के संबंध में विशिष्ट आस्ति वर्गीकरण लाभ के लिए शर्तों में से एक शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है। इस प्रयोजन से, आईआरएसी मानदंड 2012 के संबंध में मास्टर परिपत्र के पैरा 14.2.2(II) में शर्त दी गई है कि यदि कोई इकाई बुनियादी संरचना संबंधी कार्य में संलग्न हो, तो वह 10 वर्षों में और अन्य इकाइयां 7 वर्षों में व्यवहार्य हो जानी चाहिए।

7.2 कार्यदल ने महसूस किया कि पुनर्चना के संबंध में व्यवहार्य होने के लिए गैर-बुनियादी संरचना वाले उधार खातों के लिए सात वर्ष और मूलभूत संरचना वाले खातों के लिए दस वर्ष की निर्धारित समयावधि बहुत अधिक थी और बैंक इसे अधिकतम सीमा मानें।

7.3 कार्यदल की अनुशंसा के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि बैंक सुनिश्चित करें कि यदि कोई इकाई बुनियादी संरचना के कार्य में लगी हो, तो पुनर्रचना के लिए अपनाई गई इकाई 8 वर्षों में व्यवहार्यता प्राप्त कर लेती है और अन्य मामलों में 5 वर्षों में।

8. पुनर्रचना पैकेज के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन

8.1 आईआरएसी मानदंड, 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 14.2.1 में दिए गए मौजूदा अनुदेश के अनुसार बैंक के पास अग्रिम की पुनर्रचना के लिए आवेदन के लंबित होने के दौरान, सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंडों का लागू होना जारी रहेगा। तथापि, पैकेज के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन के रूप में, यदि अनुमोदित पैकेज निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार और कतिपय शर्तों को पूरा किए जाने के आधार पर बैंक द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तो आस्ति वर्गीकरण की स्थिति को उस अवस्था में वापस लाया जा सकता है जो सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत शामिल मामलों के संबंध में सीडीआर प्रकोष्ठ को संदर्भ भेजते समय अथवा गैर-सीडीआर मामलों में पुनर्रचना आवेदन पत्र बैंकों द्वारा प्राप्त करते समय मौजूद थी:

(I) सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत अनुमोदन की तिथि से 120 दिन के भीतर;

(II) सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में बैंक द्वारा आवेदन प्राप्ति की तिथि से 90 दिन के भीतर।

8.2 गैर-सीडीआर पुनर्रचनाओं के मामले में, यदि पुनर्रचना पैकेज आवेदन प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर लागू हो जाता है, तो आस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध रहेगा। चूंकि आवेदन प्राप्ति के बाद 90 दिन की अवधि खाते की व्यवहार्यता ठीक से सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त मानी जाती है, इसलिए कार्यदल ने अनुशंसा की है कि एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली सहित गैर-सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत शीघ्र कार्यान्वयन के लिए अवधि को बढ़ाकर आवेदन की तिथि से 120 दिन किया जाना चाहिए।

8.3 तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि यदि अनुमोदित पैकेज बैंक द्वारा आवेदन प्राप्ति की तिथि से 120 दिनों के भीतर लागू किया जाता है तो गैर-सीडीआर मामले में पुनर्रचना पैकेज के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन इसके बाद से उपलब्ध होगा। जहां तक सीडीआर प्रणाली का संबंध है, समयावधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

8.4 तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र में यथाविनिर्दिष्ट बुनियादी संरचना और गैर-बुनियादी संरचना वाले परियोजना ऋण के डीसीसीओ के परिवर्तन द्वारा पुनर्रचना के मामले को

छोड़कर 1 अप्रैल 2015 से पुनर्चना के संबंध में विनियामक सहिष्णुता के वापस लिये जाने पर ऐसा कोई भी प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं होगा।

9. अल्पकालिक ऋणों का पुनर्निर्धारण

9.1 आईआरएसी मानदंड 2012 से संबंधित मास्टर परिपत्र के अनुबंध 5 में 'महत्वपूर्ण अवधारणाएं' के अंतर्गत क्रम सं. (IV) में दिए गए अनुदेशों के अनुसार पुनर्चित खाते को ऐसे खाते के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां बैंक, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक अथवा विधिक कारणों से, उधारकर्ता को ऐसे छूट देता है जिन पर वह अन्य परिस्थिति में विचार नहीं करता। पुनर्चना में सामान्य रूप से अग्रिमों/प्रतिभूतियों की शर्तों के संशोधन शामिल होंगे जिसमें सामान्यतः अन्य बातों के साथ भुगतान अवधि/भुगतान की राशि/ किस्त की राशि/ब्याज की राशि में बदलाव (प्रतिस्पर्धा कारणों के बजाय अन्य कारण से) शामिल होंगे। इस परिभाषा के मद्देनजर, किसी अल्पकालिक ऋण के किसी भी पुनर्निर्धारण को 'पुनर्चना' माना जाएगा।

9.2 कार्यदल ने अनुशंसा की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक यह स्पष्ट करे कि अल्पकालिक ऋणों के पुनर्निर्धारण के ऐसे मामले, जिसमें मंजूरी पूर्व समुचित मूल्यांकन किया गया है और उधारकर्ता की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पुनर्निर्धारण की अनुमति दी गई है तथा उधारकर्ता की साख में कमजोरी के कारण कोई छूट प्रदान नहीं की गई है, तो इनको पुनर्चित खाता नहीं माना जा सकता है। तथापि, यदि ऐसे खाते का दो से अधिक बार पुनर्निर्धारण हो तो उसे पुनर्चित खाता मानना होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसी सुविधाएं प्रदान करते समय बैंकों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि उधारकर्ता संघीय सहायता के अंतर्गत या एकाधिक बैंकिंग के अंतर्गत दूसरे बैंकों से समान सुविधाएं प्राप्त कर सकता है।

9.3 संस्तुति को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रावधान के प्रयोजन से अल्पकालिक ऋण के अंतर्गत परिक्रामी नकद ऋण अथवा कार्यशील पूंजी मांग ऋण जैसे समुचित नीति से मूल्यांकित नियमित कार्यशील पूंजी ऋण शामिल नहीं हैं।

10. प्रवर्तकों द्वारा त्याग

10.1 आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 14.2.2(IV) में दिए गए मौजूदा अनुदेश के अनुसार पुनर्चना के संबंध में विनियामक आस्ति वर्गीकरण लाभ के लिए पात्रता की शर्तों में से एक यह है कि प्रवर्तकों द्वारा त्याग और उनके द्वारा लाई गई अतिरिक्त निधियां बैंक के त्याग का कम-से-कम 15 प्रतिशत होना चाहिए। 'बैंक द्वारा त्याग' का अर्थ है 'अग्रिम के उचित मूल्य में

ह्रास'। यह भी निर्धारित किया गया है कि प्रवर्तकों द्वारा त्याग को दो किस्तों में लाया जा सकता है और इसे वहां दर्शाए अनुसार विभिन्न रूपों में लाया जा सकता है।

10.2 कार्यदल ने अनुशंसा की है कि भारतीय रिज़र्व बैंक सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत बृहत् एक्सपोजर की पुनर्रचना के मामले में प्रवर्तकों द्वारा त्याग की अधिक बड़ी राशि निर्धारित करने पर विचार कर सकता है। इसके अतिरिक्त कार्यदल ने यह अनुशंसा की है कि प्रवर्तक का योगदान उचित मूल्य में कमी का कम-से-कम 15 प्रतिशत अथवा पुनर्रचित कर्ज का 2 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, निर्धारित होना चाहिए।

10.3 यह निर्णय लिया गया है कि प्रवर्तकों का त्याग और उनके द्वारा लाई गई अतिरिक्त निधि बैंकों के त्याग का कम-से-कम 20 प्रतिशत अथवा पुनर्रचित कर्ज का 2 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होनी चाहिए। यह निर्धारण न्यूनतम है और बैंक परियोजना में शामिल जोखिम के आधार पर और प्रवर्तक की अधिक से अधिक त्याग राशि लाने की क्षमता के आधार पर प्रवर्तकों द्वारा अधिक त्याग निर्धारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे अधिक त्याग की राशि पर बड़े खातों में, विशेषकर सीडीआर खातों में निरपवाद रूप से जोर दिया जाए। उधारकर्ता को पुनर्रचना का लाभ देते समय प्रवर्तक के त्याग को निरपवाद रूप से पहले ही लाया जाए।

11. ऋण का ईक्विटी/अधिमानी शेयर में परिवर्तन

11.1 वर्तमान में आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 15.1, 15.2 एवं 15.3 द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और सेबी की संबंधित विनियमावली के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षा के अनुपालन के अधीन अग्रिमों की पुनर्रचना के संबंध में ईक्विटी/अधिमानी शेयर में परिवर्तित किये जा सकने वाले ऋण के प्रतिशत पर कोई नियामक सीमा नहीं है।

11.2 कार्यदल ने अनुशंसा की है कि ऋण के अधिमानी शेयर में परिवर्तन केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाना चाहिए और ऋण के ईक्विटी/अधिमानी शेयर में ऐसे परिवर्तन किसी भी स्थिति में एक सीमा (जैसे कि पुनर्रचित ऋण का 10 प्रतिशत) तक ही रोक लिए जाने चाहिए। कार्यदल ने यह भी अनुशंसा की है कि ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन केवल सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में होना चाहिए।

11.3 अनुशंसा को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है और तदनुसार बैंकों का मार्गदर्शन किया जाए।

12. मुआवजे का अधिकार

12.1 आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र के अनुबंध 4 के अंतर्गत पैरा 5.7 में दिए गए मौजूदा अनुदेश के अनुसार सीडीआर अनुमोदित सभी पैकेजों में चुकौती में तेजी लाने के ऋणदाता के अधिकार और उधारकर्ताओं द्वारा अवधिपूर्व भुगतान के अधिकार को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। मुआवजे का अधिकार स्थायी फोरम द्वारा निर्धारित कतिपय निष्पादन मापदंड पर आधारित होना चाहिए।

12.2 कार्यदल ने अनुशंसा की है कि सीडीआर स्थाई फोरम/कोर ग्रुप इस पर विचार करें कि क्या मुआवजे के संबंध में उनके नियम सीडीआर प्रकोष्ठ से उधारकर्ताओं की निकासी को सुगम बनाने के लिए थोड़ा लचीले बनाये जाने चाहिए अथवा नहीं। तथापि, कार्यदल ने यह अनुशंसा भी की है कि गणना किए गए मुआवजे की 75 प्रतिशत राशि उधारकर्ताओं से किसी भी स्थिति में वसूली जानी चाहिए और पुनर्चना के ऐसे मामलों में जिसमें कोई सुविधा उधार दर से कम में दी गई है, मुआवजे की 100 प्रतिशत राशि वसूली जानी चाहिए।

12.3 कार्यदल ने इस बात की भी अनुशंसा की है कि 'मुआवजे' के नियम का वर्तमान सिफारिशी स्वरूप गैर-सीडीआर पुनर्चना के मामलों में भी अनिवार्य किया जाना चाहिए।

12.4 तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सभी पुनर्चित पैकेजों में 'मुआवजे का अधिकार' शर्त शामिल किया जाना चाहिए और यह उधारकर्ता के कतिपय कार्य-निष्पादन मापदंडों पर आधारित होना चाहिए। किसी भी प्रकार मुआवजे की 75 प्रतिशत राशि ऋणदाता द्वारा वसूली जानी चाहिए और जिन मामलों में पुनर्चना के अंतर्गत कुछ सुविधा आधार दर से कम में दी गई हो वहां मुआवजे की 100 प्रतिशत राशि वसूली जानी चाहिए।

13. प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी

13.1 पुनर्चना संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अर्थव्यवस्था और उद्योग से संबंधी बाह्य मामलों द्वारा इकाई के प्रभावित होने की स्थिति को छोड़कर आस्ति वर्गीकरण लाभ के लिए प्रवर्तकों द्वारा व्यक्तिगत गारंटी आवश्यक शर्तों (आईआरएसी मानदंड 2012 पर मास्टर परिपत्र का पैरा 14.2.2) में से एक है।

13.2 चूंकि व्यक्तिगत गारंटी द्वारा प्रवर्तकों के 'व्यक्तिगत हित को जोखिम' अथवा पुनर्चना पैकेज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित होगी, इसलिए कार्यदल ने यह अनुशंसा की है कि प्रवर्तकों से व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त करना पुनर्चना के सभी मामलों में अनिवार्य बना दिया जाए, भले ही पुनर्चना की आवश्यकता अर्थव्यवस्था और उद्योग से संबंधित बाह्य कारकों के कारण पड़ गई हो।

समिति ने इस बात की भी अनुशंसा की है कि कार्पोरेट गारंटी प्रवर्तक की व्यक्तिगत गारंटी का विकल्प नहीं हो सकता है।

13.3 तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि पुनर्चना के सभी मामलों में प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी ली जानी चाहिए और कार्पोरेट गारंटी को व्यक्तिगत गारंटी के विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तथापि, उन मामलों में कार्पोरेट गारंटी को स्वीकार किया जा सकता है जिनमें किसी कंपनी के प्रवर्तक व्यक्ति न होकर कोई अन्य कार्पोरेट निकाय हों अथवा जहां प्रवर्तक विशेष को स्पष्ट रूप से चिन्हित न किया जा सके।

व्यवहार्यता मापदंड के लिए विस्तृत बेंचमार्क

- i. लगाई गई पूंजी से प्रतिफल कम-से-कम पांच वर्ष की अवधि वाली सरकारी प्रतिभूति से प्राप्त होने वाले प्रतिफल से दो प्रतिशत अधिक के समतुल्य होनी चाहिए।
- ii. ऋण सेवा कवरेज अनुपात उस पांच वर्ष की अवधि के भीतर 1.25 से अधिक होना चाहिए जिसमें इकाई व्यवहार्य हो जाएगी और वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर अनुपात 1 से अधिक होना चाहिए। 10 वर्ष की चुकोती अवधि के लिए सामान्य ऋण सेवा कवरेज अनुपात लगभग 1.33 होना चाहिए।
- iii. प्रतिफल (रिटर्न) की आंतरिक दर और पूंजी की लागत के बीच बेंचमार्क अंतराल कम-से-कम 1 प्रतिशत होना चाहिए।
- iv. परिचालन और नकदी के ब्रेक इवेन पाइंट्स निकाले जाने चाहिए जो संबंधित औद्योगिक मानदंडों के साथ तुलनीय होने चाहिए।
- v. ऐतिहासिक डाटा पर आधारित कंपनी के रुझान और भविष्य के प्रक्षेपण उद्योग जगत के साथ तुलनीय होने चाहिए। इस प्रकार भूत और भविष्य ईबीआईडीटीए (ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन के पहले अर्जन) की घट-बढ़ का अध्ययन किया जाना चाहिए और उद्योग औसत से तुलना की जानी चाहिए।
- vi. ऋण अवधि (लोन-लाइफ) अनुपात नीचे परिभाषित किए अनुसार 1.4 होना चाहिए, जो मंजूर किए जाने वाले ऋण की राशि को 40% की सुरक्षा देगा।

ऋण अवधि (लोन-लाइफ) के दौरान कुल उपलब्ध नकद प्रवाह (एसीएफ) का वर्तमान मूल्य (ब्याज और मूल राशि सहित)

एलएलआर = -----

ऋण की अधिकतम राशि